

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA No. 17 / 2025

No. 2024/AC II/20/14/PNM-NFIR/e- 3462190

New Delhi , dated: 23 .05.2025

PFAs

All Zonal Railways/PUs

Sub: Introduction of objective type questions in departmental examination for Accounts Department.

Ref: NFIR's letter-no. 11/6/2019, dated: 02/12/2019.

Vide letter referred above, GS/NFIR had requested for introduction of 100% objective paper for promotional examination. The said matter again came up for discussion during PNM meeting held on 07/05/2025. In this regard, attention is invited to Board's letter no. 2006/AC-II/20/2 (Appendix-2) dated 18.11.2019 (RBA No. 100/2019) and dated 17.12.2019 (RBA No. 108/2019) vide which Board has issued detailed instructions for introduction of objective type questions in departmental examination for Accounts Department for promotion from Group D to Group C and Appendix 2 IREM Examination.

It is reiterated that the aforesaid instructions for Accounts Department may be followed scrupulously.

Digitally signed by
Rajat Agarwal
Date: 23-05-2025
13:41:36

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No.011- 23047018
Email id : rajat.agarwal91@gov.in

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2024/एसी II/20/14/पीएनएम-एनएफआईआर/ई-3462190

आरबीए सं. 17/2025
नई दिल्ली, दिनांक: 23.05.2025

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,

विषय: लेखा विभाग के लिए विभागीय परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत.

संदर्भ: एनएफआईआर का दिनांक 02/12/2019 का पत्र सं. 11/6/2019.

उक्त संदर्भित पत्र के तहत, गति शक्ति/एनएफआईआर द्वारा पदोन्नति परीक्षा के लिए 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र शुरू करने का अनुरोध किया गया था। उक्त मामला 07/05/2025 को आयोजित पीएनएम बैठक के दौरान पुनः चर्चा के लिए आया था। इस संबंध में, आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 18.11.2019 के पत्र सं. 2006/एसी-II/20/2 (परिशिष्ट-2) (आरबीए सं. 100/2019) और दिनांक 17.12.2019 (आरबीए सं. 108/2019) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत बोर्ड द्वारा ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति हेतु लेखा विभाग के लिए विभागीय परीक्षा और परिशिष्ट 2 आईआरईएम परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करने के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

यह दोहराया जाता है कि लेखा विभाग के लिए उपरोक्त अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए।



(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

फोन नं. 011-23047018

ई-मेल आईडी: rajat.agarwal91@gov.in